न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : डॉ0 मधु खरे
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2393–दो/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–06–2015 पारित द्वारा न्यायालय तहसीलदार सुजालपुर जिला–शाजापुर द्वारा प्रकरण कमांक 2/अ–13/2013–14

1– बाबूलाल पुत्र कन्हैयालाल अग्रंवाल
2– जगदीश पुत्र कन्हैयालाल अग्रवाल
निवासीगण–सुजालपुर मण्डी, तहसील
जिला–शाजापुर(म0प्र0)
.....आवेदकगण

विरूद्ध

कमलेश पुत्र बद्री प्रसाद
निवासी–श्रीगंज सुजालपुर मण्डी
तहसील सुजालपुर,
जिला–शाजापुर(म0प्र0)
.....अनावेदक

.....

श्री एन0डी0 शर्मा, अभिभाषक, आवेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 8 सितम्बर 2015 को पारित)

यह निगरानी, आवेदकगण द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार सुजालपुर जिला–शाजापुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–06–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ आवेदक अभिभाषक ने तर्क दिया कि विवादित भूमि आवेदक कैलाश ने संहिता की धारा 131, 132 के अन्तर्गत आवेदन पत्र तहसीलदार शुजालपुर के समक्ष पेश कि ग्राम सतेण्डी तहसील शुजालपुर स्थित भूमि सर्वे कमांक 152/2 रकबा 0.230 हे0 पर विगत 14 वर्षों से कृषि कार्य कर रहा है उक्त

भूमि के दोनों तरफ आवेदकगण की भूमि है। आवेदकगण ने सतेण्डी से लगे हुये कांकड पर तार फेंसिंग कर उसका मार्ग अवरूद्ध कर दिया है। भूमि पर जाने का एक मात्र रास्ता यही है और उसके पास कोई वैकल्पिक रास्ता न होने से रास्ता खुलवाया जाये। आवेदकगण प्रकरण में उपस्थित हुये और रास्ता अवरूद्ध करने संबंधी तर्कों से इंकार किया तत्पश्चात उभय पक्ष की मौजूदगी में स्थल निरीक्षण कर दिनांक 31–7–14 को धारा 32 के आवेदन का रास्ता अवरूद्ध न पाने से अनावेदक का आवेदन निरस्त किया। किन्तु बाद में अनावेदक द्वारा पुनः अंतरिम रास्ते हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर बिना आवेदकगण को सुने पूर्व में पारित आदेश दिनांक 31–7–14 के विपरीत तहसीलदार ने दिनांक 30–6–2015 को अंतरिम आदेश पारित करते हुये मुख्य मार्ग से सीधा रास्ता आवेदकगणों की स्वामित्व की भूमि में से दिये जाने का आदेश दिया, जिसके विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत तहसीलदार के आदेश की सत्यापित प्रति का अवलोकन किया। जिससे स्पष्ट है कि तहसीलदार ने दोनों बार हल्का पटवारी के साथ उभय पक्ष की उपस्थिति में पंचों के समक्ष स्थल निरीक्षण किया तथा दिनांक 30–6–2015 को आवेदकगण द्वारा सर्वे कमांक 452 के चारो तरफ की भूमि कय कर तार फेंसिंग कर रास्ता अवरूद्ध करना पाया। इसी आधार पर सर्वे कमांक 152/2 के उत्तरी कोने से विद्युत पोल छोडकर पूर्व–पश्चिम दिशा से आने जाने का 10 फीट रास्ता ग्राम जामनेर में से दिया है जो शुजालपुर आष्टा सड़क मार्ग से मिल जावेगा। इस प्रकार स्पष्ट है कि तहसीलदार ने इस प्रकरण में दो बार स्वयं स्थल निरीक्षराण किया परन्तु दोनों ही बार अलग स्वरूप के आदेश पारित किए। पूर्व में किए गए अन्तरिम आदेश दिनांक 31–7–14 में क्या त्रुटि थी इसे स्पष्ट किए बिना ही अपने ही किए गए आदेश को बाद में दिनांक 30–6–15 को परिवर्तित किया जो वैधानिक रूप से त्रुटिपूर्ण है। अतः निगरानी स्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार का आदेश दिनांक

30–6–15 निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि उभय पक्ष के विधिवत रूप से साक्ष्य लेकर अधिकतम तीन माह में प्रकरण का गुण–दोष के आधार पर प्रकरण का अन्तिम निराकरण करें।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर